



गुरुरतन सिंह उर्फ चट्टक सिंह पिता स्व० लालगजाधर सिंह उम्र 67 वर्ष पेशा कृषि निवासी कृपालपुर सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०.....रेस्पांडेन्ट/निगराकार

बनाम निम्न | 3950-11-15

यशवर्धन सिंह पिता स्व० प्रशांत सिंह उम्र 5 वर्ष नाबालिग जरिये बली सरपरस्त माता श्रीमती रूपा सिंह पत्नी स्व० प्रशांत सिंह निवासी कृपालपुर सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०...

.....अपीलांट/गैरनिगराकार

श्री. मुकेश शर्मा
द्वारा आज दि 10-12-15 को
प्रस्तुत

कलक ऑफ कोर्ट
राजसव मण्डल म.प्र. ग्वालिअर

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक
20/10/2015 प्रकरण क्रमांक
108/अपील/2014-15 न्यायालय
अनुविभागीय अधिकारी तहसील
रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०

अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०संहिता

WS
मुकेश शर्मा
10-12-15 कलक ऑफ कोर्ट
ग्वालिअर मान्यवर,

निगराकार/रेस्पांडेन्ट निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य:-

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/गैरनिगराकार के द्वारा एक अपील मौजा कृपालपुर तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र० की आराजी नं० 440, 441, 442, 445/2, 457, 448, 459, 460 एवं आराजी नं० 265/1 तथा 267/1/ख के संबंध में नामांतरण पंजी क्र० 216 आदेश दिनांक 08/07/2015 के विरुद्ध प्रस्तुत करते हुए उक्त अपील में यह उल्लेख किये थे कि उपरोक्त लिखित आराजी अपीलांट के पिता स्व० प्रशांत सिंह के नाम थी जिनकी मृत्यु दिनांक 09/08/2015 को हो चुकी है। प्रशांत सिंह की मृत्यु के उपरांत उनके बाबा निगराकार/रेस्पांडेन्ट ने नाबालिक यशवर्धन सिंह के नाम के आंगे बली सरपरस्त के रूप में अपना नाम दर्ज करवा लिये है। इसलिए उक्त नामांतरण पंजी क्र० 216 आदेश दिनांक 08/07/2015 को निरस्त कर बली सपरस्त के रूप में नाबालिक यशवर्धन सिंह के बाबा के स्थान पर माता रूपा सिंह का नाम दर्ज किया जावे।

कमश:-2

रतन सिंह तद्विल

